EPCH HOUSE Pocket 6 & 7 Sector 'C', LSC, Vasant Kunj, New Delhi-110070 Tel: +91-11-26135256 Fax: +91-11-26135518 & 19 Email: mails@epch.com | www.epch.in CIN U20299DL1955NPL023253 GST NO: 07AAACE1747M1ZJ

### प्रेस विज्ञप्ति

## लकड़ी के हस्तशिल्प निर्यातकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार के माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की

## भारतीय लकड़ी के हस्तशिल्प निर्यात की सुरक्षा के लिए यूरोपीय संघ के वन विनाश नियमों (ईयूडीआर) पर सरकार के हस्तक्षेप की मांग की

दिल्ली/एनसीआर, 02 सितंबर 2025 – ईपीसीएच के उपाध्यक्ष श्री सागर मेहता के नेतृत्व में हस्तशिल्प निर्यातकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार के माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस अवसर पर श्री तन्मय कुमार, सिचव, एमओईएफसीसी; श्री सुशील कुमार अवस्थी, महानिदेशक वन; जोधपुर से ईपीसीएच सीओए सदस्य श्री हंसराज बाहेती, ; श्री नरेश बोथरा, अध्यक्ष, जोधपुर हस्तशिल्प निर्यातक संघ; श्री मोहम्मद औसाफ, महासिचव, सहारनपुर वुड कार्विंग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन; श्री आर. के. वर्मा, कार्यकारी निदेशक – ईपीसीएच; श्री राजेश रावत अतिरिक्त कार्यकारी निदेशक; श्री सिचन राज, संयोजक, एनसीसीएफ; श्री अनवर अहमद, सहारनपुर के प्रमुख सदस्य निर्यातक और श्री रौनक पारख जोधपुर के प्रमुख सदस्य निर्यातक उपस्थित रहे।

ईपीसीएच के अतिरिक्त कार्यकारी निदेशक श्री राजेश रावत ने बताया बैठक का उद्देश्य माननीय मंत्री को ईयूडीआर अनुपालन के संबंध में लकड़ी के हस्तशिल्प निर्यातकों के सामने आने वाली समस्याओं और चुनौतियों से अवगत कराना था। माननीय मंत्री ने धैर्यपूर्वक उठाए गए मुद्दे को सुना और आश्वासन दिया कि चिंताओं की उचित जांच की जाएगी।

ईपीसीएच अध्यक्ष डॉ. नीरज खन्ना ने कहा, "हालांकि हम यूरोपीय संघ की वनों की कटाई को रोकने की कोशिशों की सराहना करते हैं, पर ईयूडीआर अनुपालन की आवश्यकताएं हमारे लकड़ी के हस्तशिल्प निर्यातकों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। हमारे लकड़ी से बने हस्तशिल्प मुख्य रूप से आम, बबूल और शीशम की लकड़ियों से बनते हैं, जो ज्यादातर कृषि वानिकी से प्राप्त होते हैं। ये पेड़ प्राकृतिक जंगलों के बाहर उगाए जातें हैं जो वनों की कटाई के तहत नहीं आते हैं।

उन्होंने आगे कहा, "हमारा मानना है कि अगर ये सख्त अनुपालन हमारे देश की स्थिति को ध्यान में रखे बगैर लागू किए गए, तो बहुत बड़ा व्यवधान पैदा हो सकता है। इससे बहुत से कारीगर और एमएसएमई निर्यातक यूरोपीय संघ के बाजारों में अपनी जगह गंवा सकते हैं, इससे उत्पादन में गिरावट, ऑर्डर रद्द होने और कारीगरों और उनके आश्रितों के बीच बड़ी संख्या में बेरोजगारी आ सकती है।"

ईपीसीएच के उपाध्यक्ष श्री सागर मेहता ने कहा कि, "हस्तशिल्प क्षेत्र ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत के लाखों कारीगरों की आर्थिक रीढ़ है। सोर्सिंग की स्थायी प्रकृति के बावजूद, ईयूडीआर भारत जैसे देशों में संदर्भगत अंतरों की परवाह किए बिना सभी लकड़ी निर्यातकों पर समान दायित्व डालता है। सरकारी हस्तक्षेप के बिना, ईयूडीआर का अनुपालन हमारे निर्यातकों के लिए बेहद जटिल हो सकता है।" श्री मेहता ने सरकार से एक समन्वित राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और रचनात्मक सहयोग का आग्रह किया, जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय/विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) और डीजीएफटी के बीच एक अंतरमंत्रालयी सिमिति की स्थापना की जाए ताकि एक केंद्रीकृत दस्तावेज़ीकरण प्रणाली के साथ एक डिजिटल ट्रेसेबिलिटी/जियो-लोकेशन ढांचा प्रदान किया जा सके; राज्य वन विभागों को भूखंडों के भू-निर्देशांक और कटाई की मात्रा को दर्ज करने और कार्य योजनाओं को सुलभ बनाने का निर्देश दिया जाए; वृक्ष योजना से जुड़ी एक राष्ट्रीय लकड़ी पोर्टल प्रणाली शुरू की जाए; भू-निर्देशांक के साथ एक लाइसेंस प्राप्त आरा मिल रजिस्ट्री प्रकाशित की जाए और आम बबूल और शीशम जैसी कृषि वानिकी आधारित लकड़ी से बने हस्तशिल्प के लिए स्थगन या उपयुक्त छूट दी जाए।

जोधपुर ईपीसीएच के सीओए सदस्य श्री हंसराज बाहेती ने कहा कि "यूरोपीय संघ के वनों की कटाई संबंधी नियम लकड़ी के हस्तशिल्प निर्यातकों, खास कर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और कारीगर-आधारित उद्यमों के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करते हैं। हालांकि हम स्थायी और जिम्मेदार बिजनेस का पूर्ण समर्थन करते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हमारा लकड़ी हस्तशिल्प क्षेत्र अपनी खास प्रकृति रखता है, यह कृषि वानिकी पर आधारित है और वनों की कटाई में कोई भूमिका नहीं निभाता। इसलिए हम एक व्यावहारिक अनुपालन ढांचा विकसित करने के लिए सरकारी निकायों, उद्योग के स्टेकहोल्डर्स को शामिल करते हुए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण का अनुरोध करते हैं जो वैश्विक दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करते हुए हमारे कारीगरों की सुरक्षा करे।

ईपीसीएच के अपर कार्यकारी निदेशक श्री राजेश रावत ने कहा, "ईपीसीएच हमेशा वैश्विक सस्टेनेबिलिटी मानकों के अनुरूप काम करता रहा है, जैसे कि 'वृक्ष' (टिम्बर लीगैलिटी असेसमेंट ऐंड वेरिफिकेशन स्कीम) योजना, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रणाली है जो लकड़ी की सोर्सिंग की वैधता और सस्टेनेबल स्रोत से प्राप्त होने की पुष्टि करती है। हालांकि जियो रेफरेंस पर आधारित ट्रैसेबिलिटी सिस्टम (यानी नक्शे पर कॉऑर्डिनेट्स को दर्शाने वाली डिजिटल इमेज) को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए नीति बनाकर समर्थन करने, फंडिंग और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। यही सामूहिक दृष्टिकोण भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को सुरक्षित रखते हुए अनुपालनों को सुनिश्चित करेगा।"

ईपीसीएच के कार्यकारी निदेशक श्री आर. के. वर्मा ने बताया कि हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद देश से हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने और देश के विभिन्न हस्तशिल्प क्लस्टर्स में काम कर रहे लाखों कारीगरों के जादुई हाथों से बने उत्पादों – जैसे होम डेकोर, लाइफस्टाइल, टेक्सटाइल, फर्नीचर, फैशन जूलरी एवं एक्सेसरीज़ को वैश्विक ब्रांड बनाने की दिशा में कार्य करने वाली एक नोडल संस्थान है। उन्होंने बताया कि साल 2024-25 के दौरान हस्तशिल्प का कुल निर्यात ₹33,123 करोड़ (3,918 मिलियन अमेरिकी डॉलर) रहा और साल 2024-25 के दौरान काष्ठ हस्तशिल्पों का निर्यात ₹8,524.74 करोड़ (1,008.04 मिलियन अमेरिकी डॉलर) था, जिसमें रुपये के संदर्भ में 6% और अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में 3.84% की वृद्धि दर्ज की गई, अकेले यूरोपीय संघ को कुल ₹2,591.29 करोड़ (306.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के निर्यात किए गए।

------

### अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:

श्री आर. के. वर्मा, कार्यकारी निदेशक, ईपीसीएच +91-9810679868 EPCH HOUSE Pocket 6 & 7 Sector 'C', LSC, Vasant Kunj, New Delhi-110070 Tel: +91-11-26135256 Fax: +91-11-26135518 & 19 Email: mails@epch.com | www.epch.in CIN U20299DL1955NPL023253 GST NO: 07AAACE1747M1ZJ

#### PRESS RELEASE

# A Delegation of Wooden Handicraft Exporters met Shri Bhupender Yadav, Hon'ble Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India

# Seeks Government Intervention on European Union Deforestation Regulations (EUDR) to Safeguard Indian Wooden Handicrafts Exports

**Delhi/NCR, O2nd September 2025 –** A delegation of handicrafts exporters led by Shri Sagar Mehta, Vice Chairman, EPCH met Shri Bhupender Yadav, Hon'ble Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India in the presence of Shri Tanmay Kumar, Secretary, MoEFCC; Shri Sushil Kumar Awasthi, Director General - Forest; Shri Hansraj Baheti, Member CoA EPCH from Jodhpur; Shri Naresh Bothra, President, Jodhpur Handicrafts Exporters Federation; Shri Mohd. Ausaf, General Secretary, Saharanpur Wood Carving Manufacturer Association; Shri R. K. Verma, Executive Director - EPCH, Shri Rajesh Rawat, Addl. Executive Director-EPCH; Shri Sachin Raj, Convener, NCCF; Shri Anwar Ahmed prominent member exporter from Saharanpur, Shri Raunak Parakh prominent member exporter from Jodhpur were present.

The objective of the meeting was to apprise the Hon'ble Minister about the issues and challenges faced by wooden handicraft exporters with respect to EUDR compliance, Hon'ble Minister heard the issue raised patiently and assured the concerns would be duly examined informed Shri Rajesh Rawat, Addl. Executive Director -EPCH.

Dr. Neeraj Khanna, Chairman-EPCH, said "While we appreciate the EU's commitment to combating deforestation, but the EUDR compliance requirements could severely impact our wooden handicrafts exporters. Our wooden handicrafts are primarily made from Mango, Acacia and Sheesham wood which are sourced largely from agroforestry. These species are grown outside forests and do not contribute to deforestation. He further added "we believe that such stringent compliance requirements, if implemented without contextual adjustments, could lead to significant disruptions. Many artisans and MSME exporters may lose access to EU markets, resulting in reduced production, cancelled orders and widespread unemployment among artisans and their dependents."

Shri Sagar Mehta, Vice Chairman – EPCH shared that "The handicrafts sector is the economic backbone for millions of artisans in rural and semi-urban India. Despite the sustainable nature of sourcing, EUDR places uniform obligations on all timber exporters, disregarding contextual differences in countries like India. Without government intervention, compliance with EUDR could become prohibitively complex for our exporters.

Shri Mehta further urged government for a coordinated national response and constructive engagement seeking an inter-ministerial committee between MoEFCC, MoAFW, MoC&I, Ministry of Textiles/Development Commissioner (Handicrafts) and DGFT to deliver a digital traceability/geo-location framework with a centralised documentation system; direct state forest departments to capture plot geo-coordinates and felling volumes and make working plans accessible; launching a National Timber Portal System linked to the VRIKSH scheme; publish a licensed sawmill registry with geo-coordinates and deferment or suitable exemptions for wooden handicrafts made from agroforestry based wood such as Mango, Acacia and Sheesham.

Shri Hansraj Baheti, Member CoA – EPCH from Jodhpur said that "The European Union's deforestation regulations present a critical challenge for wooden handicraft exporters, particularly MSMEs and artisan-based enterprises. While we fully support sustainable and responsible trade, it is essential to recognize the unique nature of our wooden handicrafts sector, which relies on agroforestry and does not contribute to deforestation. We request a collaborative approach involving government bodies, industry stakeholders to develop a pragmatic compliance framework that protects our artisans while meeting global sustainability goal".

Shri R. K. Verma, Executive Director-EPCH said "EPCH has always been committed towards aligning with global sustainability frameworks through initiatives like "Vriksh" Timber Legality Assessment and Verification Scheme, an internationally recognized system that assures the legality and sustainability of wood sourcing. However, large-scale implementation of georeferenced traceability systems requires policy support, funding and international engagement. This collective approach will ensure compliance while safeguarding India's export competitiveness."

Export Promotion Council for Handicrafts is a nodal agency for promotion of exports of handicrafts from the Country and create brand image of magic of the gifted hands of millions of craftspersons engaged in production of home, lifestyle, textiles, furniture and fashion jewellery & accessories products in different craft clusters of the Country. The overall Handicrafts exports during the year 2024-25 was Rs. 33,123 Crores (US \$ 3,918 Million), the exports of wooden Handicrafts during the year 2024-25 was 8524.74 crores (US\$ 1008.04 million) registering a growth of 6% in rupee term and 3.84% in dollar term with exports to European Union stands at ₹2,591.29 crore (US\$ 306.40 million) informed by Shri R. K. Verma, Executive Director, EPCH.

\_\_\_\_\_\_

#### For more information please contact:

Shri. R. K. Verma, Executive Director, EPCH +91-9810679868

Encl: Hindi, English version with photos







Photo 1, 2 & 3: A delegation of handicrafts exporters led by Shri Sagar Mehta, Vice Chairman, EPCH met Shri Bhupender Yadav, Hon'ble Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India in the presence of Shri Tanmay Kumar, Secretary, MoEFCC; Shri Sushil Kumar Awasthi, Director General Forest; Member CoA-EPCH form Jodhpur Shri Hansraj Baheti; Shri Naresh Bothra, President, Jodhpur Handicrafts Exporters Federation; Shri Mohd. Ausaf, General Secretary, Saharanpur Wood Carving Manufacturer Association; Shri R. K. Verma, Executive Director – EPCH, Shri Rajesh Rawat, Addl. Executive Director – EPCH; Shri Sachin Raj, Convener, NCCF; Shri Anwar Ahmed prominent member exporter from Saharanpur and Shri Raunak Parakh prominent member exporter from Jodhpur were present during the meeting held today at New Delhi.